नीति निर्धारण समिति, बैठक : 187/27.09.2011
निर्णयों का सार संक्षेप

राजस्थान जलप्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्धन मण्डल, जयपुर की ''नीति निर्धारण समिति'' की 187वीं बैठक दिनांक 27.09.2011. को, अपरान्ह 4.30 बजे **माननीय श्री महिपाल मदेरणा, मंत्री, राजस्थान–सरकार**, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राजस्थान की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया :–

1.	**श्री राम लुभाया,** अति. मुख्य सचिव, जन स्वा.अभि.विभाग,राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
2.	**श्री राकेश वर्मा,** प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
3.	**श्री प्रकाश टेकवाणी,** विशेषाधिकारी, वित्त (व्यय–III) विभाग, जयपुर	सदस्य
4.	**श्री रामराज मीणा,** मुख्य अभियन्ता (प्र.) एवं तकनीकी सदस्य, आरडबलूएसएसएमबी, जयपुर	सदस्य
5.	**श्री भास्कर शर्मा,** वित्तीय सलाहकार एवं मु.ले.अ., आरडब्ल्यूएसएसएमबी. जयपुर	सदस्य
6.	**श्री हेमन्त नारंग,** मुख्य अभियंता(मुख्या.) एवं मुख्य अभियन्ता (वि.परि.) जन स्वा.अभि.विभाग, जयपुर	सदस्य
7.	**श्री विनय माथुर,** मुख्य अभियंता(ग्रामीण), जन स्वा.अभि.विभाग, जयपुर	सदस्य
8.	**श्री भुवनेश माथुर,** मुख्य अभियन्ता (परियोजना), जन स्वा.अभि.विभाग, जोधपुर	सदस्य
9.	**श्री कुन्दन लाल,** मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग,, जयपुर	सदस्य
10	**श्री डी.एम. जैन,** सचिव, राज0 जलप्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मण्डल, जयपुर	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में आयोजना विभाग के प्रमुख शासन सचिव तथा विशेषाधिकारी वित्त (व्यय–III) विभाग द्वारा बैठक के एजेण्डा नोट के सैट पर्याप्त समय पूर्व प्राप्त न होने एवं कुछ एजेण्डा बिन्दुओं पर तकनीकी सदस्य तथां वित्तीय सलाहकार एवं मु.ले.अ. की जांच पश्चात् टिप्पणी न होने, से समिति को अवगत कराया गया। सचिव बोर्ड द्वारा एजेण्डा नोट के सैट बैठक से एक दिन पूर्व ही उपलब्ध कराने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में एजेण्डा नोट के सैट्स समिति की बैठक से कम से कम तीन दिवस पूर्व माननीय सदस्यगणों को उपलब्ध करवा दिये जाने से आश्वस्त किया गया । तत्पश्चात् समिति द्वारा बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा की गई एवं निम्नानुसार निर्णय लिए गये :–

एजेण्डा बिन्दु : 1
नीति निर्धारण समिति 186/24.12.2010 के निर्णयों की सार संक्षेप की पुष्टि

सचिव, राज. जलप्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मण्डल, जयपुर के पत्र संख्या एफ.7(14)पीपीसी–186/आरडब्ल्यूएसएसएमबी/2010–11/6261–310 दिनांक 24.01.2011 द्वारा जारी नीति निर्धारण समिति 186/24.12.2010 के निर्णयों के सार संक्षेप की पुष्टि की गई ।

एजेण्डा बिन्दु : 2
नीति निर्धारण समिति 186/24.12.2010 के निर्णयों की अनुपालना प्रतिवेदन

नीति निर्धारण समिति 186/24.12.2010 के निर्णयों की अनुपालना प्रतिवेदन का समिति द्वारा अवलोकन किया जा कर रिकार्ड में रखे जाने का निर्णय लिया गया ।

एजेण्डा बिन्दु : 3 से 10
पत्रावली पर स्वीकृत योजनाओं का अनुमोदन

माननीय मंत्री महोदय, जन स्वा. अभि. विभाग द्वारा पत्रावली पर दी गई निम्न योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया :–

एजेण्डा बिन्दु सं.	योजना का नाम	अनुमानित लागत	बजट मद
3	राजस्थान प्रदेश की विभिन्न शहरी जल योजनाओं पर जल परिवहन का कार्य	17.94 करोड	स्टेट प्लान (शहरी)
4	शहरी जल प्रदाय योजना बालोतरा जिला बाडमेर की आकस्मिक पेयजल योजना ।	9.23 करोड	स्टेट प्लान(शहरी) : 6.59 करोड एनआरडीडब्ल्यूपी (डीडीपी) : 2.64 करोड
5	राजस्थान प्रदेश की विभिन्न ग्रामीण जल योजनाओं पर जल परिवहन का कार्य ।	62.26 करोड	स्टेट प्लान (ग्रामीण)
6	बोराबास मंडाना पेयजल परियोजना जिला कोटा ।	118.04 करोड	स्टेट प्लान(शहरी) : 7.48 करोड एनआरडीडब्ल्यूपी (सस्टेनेबिलिटी) : 2.87 करोड एनआरडीडब्ल्यूपी (कवरेज) : 53.84 करोड स्टेट प्लान (ग्रामीण) : 53.84 करोड
7	जयपुर शहर के नगर खण्ड प्रथम (दक्षिण) के अन्तर्गत सूखे/अबन्डन नलकूप/हैण्डपम्पो को उपयोग करते हुये रेनवाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कार्य ।	695.50 लाख	स्टेट प्लान (शहरी)
8	जोधपुर शहर में पुरानी पाईप लाईनों को बदलने का कार्य ।	1038.72 लाख	वाटर सेस चार्जेज
9	ग्राम बावरीपाडा तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा का हैण्डपम्प से पीएनटी योजना में परिवर्ततन ।	60.02 लाख	स्टेट प्लान (ग्रामीण)
10	जोधपुर शहर के लालसागर एवं महामंदिर क्षेत्र की माता का थान, गुलाब नगर एवं 8 माईल जोन की पेयजल योजना का संवर्धन	1762.00 लाख	स्टेट प्लान (शहरी) – जोधपुर शहर परियोजना

(कार्रवाई सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता,/ अति. मुख्य अभियंता द्वारा)

<u>एजेण्डा बिन्दु : 11 से 22</u>
नीति निर्धारण समिति 182/20.02.2010 के निर्णय उपरान्त सबमर्सिबल पम्पसेट्स की मरम्मत कार्यो की कार्योत्तर स्वीकृति

एजेण्डा बिन्दुओं पर मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) की प्रस्तुतिकरण के आधार पर विचार विमर्श किया गया । प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्य अभियन्ता (ग्रा.) द्वारा अवगत कराया गया कि नीति निर्धारण समिति की 182वीं बैठक दिनांक 20.02.2010 में एजेण्डा बिन्दु 4 पर जल योजनाओं पर खराब होने वाले सबमर्सिबल पम्प सेटों के स्थान पर नये पम्प सेट्स लगाये जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया था परन्तु नये पम्प सेट्स तत्काल उपलब्ध न होने एवं ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या को दृष्टिगत रखते हुये न्यूनतम आवश्यक सबमर्सिबल पम्प सेटों की मरम्मत को सीमित अवधि तक चालू रखे जाने का प्रशासनिक निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि सबमर्सिबल पम्प सेटों के मरम्मत कार्य की कार्योत्तर स्वीकृति नीति निर्धारण समिति से ली जावेगी । मुख्य अभियन्ता (ग्रा.) द्वारा नीति निर्धारण समिति 182/20.02.2010 के उपरान्त सबमर्सिबल पम्प सेट्स की कराई गई मरम्मत कार्यो की कार्योत्तर स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया गया ।

विचार विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा निम्नानुसार सामान्य निर्णय लिये गये :–

- नीति निर्धारण समिति 182/20.02.2010 में लिये गये नीतिगत निर्णय की पालना विभाग द्वारा सुनिश्चित की जावेगी ।
- सबमर्सिबल पम्प सैटों के मरम्मत कार्य का भुगतान विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों, विभाग द्वारा जारी चैक लिस्ट की पालना सुनिश्चित करते हुये नियमानुसार ही की जावेगी । साथ ही सबमर्सिबल पम्प सैटों की अनियमित मरम्मत कार्य करवाने वाले अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना भी सुनिश्चत किया जावेगा ।
- भविष्य में सबमर्सिबल पम्प सैट की मरम्मत पर पूर्ण प्रतिबन्ध यथावत रहेगा । फील्ड अधिकारी मुख्य अभियन्ता द्वारा तय 1% सीमा तक पम्प का रिजर्व स्टाक रखें । यदि 1% से अधिक पम्प खराब होते है तो सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जावेगी ।

उपरोक्त निर्णय नीति निर्धारण समिति 182/20.02.2010 के उपरान्त विभाग में समस्त खण्डों द्वारा कराये गये सबमर्सिबल पम्प सैटों की मरम्मत के कार्यो पर लागू होगा ।

(कार्रवाई समस्त मुख्य अभियंता/अति. मुख्य अभियन्ता द्वारा)

एजेण्डा बिन्दु : 23
जल योजना 16 एजी भोमपुरा तहसील एवं जिला हनुमानगढ पर उच्च जलाशय निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (अनु. लागत रू. 43.62 लाख)

एजेण्डा बिन्दु पर मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) की प्रस्तुतिकरण के आधार पर विचार विमर्श किया गया । प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) द्वारा अवगत करवाया गया कि योजना के अन्तर्गत 8 ग्राम लाभान्वित है जिसमें से ग्राम 16 एजी पाईप्ड योजना द्वारा लाभान्वित है तथा ग्राम में वर्तमान में 264 घरेलु जल सम्बन्ध है । योजना क्षेत्र में विद्युत सप्लाई अनियमित रहने से गॉवों में पेयजल आपूर्ति बाधित होने के कारण माननीय मंत्री महोदय, जन स्वा. अभि. विभाग के क्षेत्र में दौरे के दौरान जन प्रतिनिधियों द्वारा उच्च जलाशय बनाये जाने की मांग की गई थी एवं माननीय मंत्री महोदय द्वारा उच्च जलाशय निर्माण के प्रस्ताव बना कर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये थे । उक्त निर्देशन की अनुपालना में प्रस्तुत प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) द्वारा अनुरोध किया गया । विचार विमर्श के उपरान्त योजना की लागत रू. 43.62 लाख (संलग्नक : 1/एबी. 23/नीनिस 187/27.09.2011) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति स्टेट प्लान (ग्रामीण) मद के अन्तर्गत जारी किए जाने का निर्णय लिया गया । योजना का क्रियान्वयन बजट उपलब्धता एवं विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों को सुनिश्चित करते हुए किया जावेगा ।

(कार्रवाई मुख्य अभियंता (ग्रा.)/अति. मुख्य अभियन्ता (बीकानेर) द्वारा)

एजेण्डा बिन्दु : 24
जल योजना 15 जेडीडब्ल्यू (पक्का भादवा) तहसील एवं जिला हनुमानगढ पर उच्च जलाशय निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (अनु. लागत रू. 49.54 लाख)

एजेण्डा बिन्दु पर मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) की प्रस्तुतिकरण के आधार पर विचार विमर्श किया गया । प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) द्वारा अवगत करवाया गया कि योजना के अन्तर्गत लाभान्वित ग्राम 15 जेडीडब्ल्यू में वर्तमान में 375 घरेलु जल सम्बन्ध है । योजना क्षेत्र में विद्युत सप्लाई अनयिमित रहने से गांव में पेयजल आपूर्ति बाधित होने के कारण माननीय मंत्री महोदय, जन स्वा. अभि. विभाग के क्षेत्र मे दौरे के दौरान जन प्रतिनिधियों द्वारा उच्च जलाशय बनाये जाने की मांग की गई थी एवं माननीय मंत्री महोदय द्वारा उच्च जलाशय निर्माण के प्रस्ताव बना कर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये थे । उक्त निर्देशन की अनुपालना में प्रस्तुत प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) द्वारा अनुरोध किया गया । विचार विमर्श के उपरान्त योजना की लागत रू. 49.54 लाख (संलग्नक : 2/ए.बी./24/नीनिस 187/27.09.2011) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति स्टेट प्लान (ग्रामीण) मद के अन्तर्गत जारी किए जाने का निर्णय लिया गया ˙ योजना का क्रियान्वयन बजट उपलब्धता एवं विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों को सुनिश्चित करते हुए किया जावेगा ।

(कार्रवाई मुख्य अभियंता (ग्रा.)/अति. मुख्य अभियन्ता (बीकानेर) द्वारा)

<u>एजेण्डा बिन्दु : 25</u>
जल योजना 5 एलके (लखूवाली) तहसील एवं जिला हनुमानगढ पर उच्च जलाशय निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति (अनु. लागत रू. 72.27 लाख)

एजेण्डा बिन्दु पर मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) की प्रस्तुतिकरण के आधार पर विचार विमर्श किया गया । प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) द्वारा अवगत करवाया गया कि योजना के अन्तर्गत 6 ग्राम लाभान्वित है जिसमें से ग्राम 5 एलके पाईप्ड योजना द्वारा लाभान्वित है तथा ग्राम में वर्तमान में 150 घरेलु जल सम्बन्ध है । योंजना क्षेत्र में विद्युत सप्लाई अनियमित रहने से गांवों में पेयजल आपूर्ति बाधित होने के कारण माननीय मंत्री महोदय जन स्वा. अभि. विभाग के क्षेत्र में दौरे के दौरान जन प्रतिनिधियों द्वारा उच्च जलाशय बनाये जाने की मांग की गई थी एवं माननीय मंत्री महोदय द्वारा उच्च जलाशय निर्माण के प्रस्ताव बना कर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये थे । उक्त निर्देशन की अनुपालना में प्रस्तुत प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) द्वारा अनुरोध किया गया । विचार विमर्श के उपरान्त योजना की लागत रू. 72.27 लाख (संलग्नक : 3 ए.बी. 25/नीनिस 187/ 27.09.2011) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति स्टेट प्लान (ग्रामीण) मद के अन्तर्गत जारी किए जाने का निर्णय लिया गया । योजना का क्रियान्वयन बजट उपलब्धता एवं विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों को सुनिश्चित करते हुए किया जावेगा ।

(कार्रवाई मुख्य अभियंता (ग्रा.)/ अति. मु.ख्य अभियन्ता (बीकानेर) द्वारा)

<u>एजेण्डा बिन्दु : 26</u>
जल योजना 18 एलएलडब्ल्यू–ए (हीरणावाली) तहसील एवं जिला हनुमानगढ पर उच्च जलाशय निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (अनु. लागत रू. 45.97 लाख)

एजेण्डा बिन्दु पर मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) की प्रस्तुतिकरण के आधार पर विचार विमर्श किया गया । प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्य अभियन्ता (ग्रा.) द्वारा अवगत करवाया गया कि योजना के अन्तर्गत लाभान्वित ग्राम 18 एलएलडब्ल्यू–ए में वर्तमान में 463 घरेलु जल सम्बन्ध है । योजना क्षेत्र में विद्युत सप्लाई अनियमित रहने से गांव में पेयजल आपूर्ति बाधित होने के कारण माननीय मंत्री महोदय, जन स्वा. अभि. विभाग के क्षेत्र में दौरे के दौरान जन प्रतिनिधियों द्वारा उच्च जलाश्य बनाये जाने की मांग की गई थी एंव माननीय मंत्री महोदय द्वारा उच्च जलाशय निर्माण के प्रस्ताव बना कर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये थे । उक्त निर्देशन की अनुपालना में प्रस्तुत प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) द्वारा अनुरोध किया गया । विचार विमर्श के उपरान्त योजना की लागत रू. 45.97 लाख (संलग्नक : 4 ए.बी. 26/नीनिस 187/ 27.09.2011) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति स्टेट प्लान (ग्रामीण) मद के अन्तर्गत जारी किए जाने का निर्णय लिया गया । योजना का क्रियान्वयन बजट उपलब्धता एवं विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों को सुनिश्चित करते हुए किया जावेगा ।

(कार्रवाई मुख्य अभियंता (ग्रा.)/ अति. मु.ख्य अभियन्ता (बीकानेर) द्वारा)

<u>एजेण्डा बिन्दु : 27</u>
जल योजना 7 पीबीएन (दुलमाना) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ पर उच्च जलाशय निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (अनु. लागत रू. 58.68 लाख)

एजेण्डा बिन्दु पर मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) की प्रस्तुतिकरण के आधार पर विचार विमर्श किया गया । प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्य अभियन्ता (ग्रा.) द्वारा अवगत करवाया गया कि योजना के अन्तर्गत 5 गांव लाभान्वित है । इनमे से ग्राम 7 पीबीएन (दुलमाना) की वर्ष 2001 की जनगणनानुसार कुल आबादी 2982 है तथा ग्राम में वर्तमान में 375 घरेलु जल सम्बन्ध है । योजना क्षेत्र में विद्युत सप्लाई अनियमित रहने से गांव में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु एक उच्च जलाशय निर्माण के प्रस्ताव बना कर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये है । मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया । प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई । ग्राम 7 पीबीएन की जनसंख्या 4000 से कम होने एवं विभाग की नीति अनुसार 4000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में ही उच्च जलाशय निर्माण के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए, समिति द्वारा ग्राम में उच्च जलाशय के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया ।

(कार्रवाई मुख्य अभियंता (ग्रा..)/अति. मुख्य अभियंता क्षेत्र बीकानेर द्वारा)

<u>एजेण्डा बिन्दु : 28</u>
शहरी जल योजना सांगोद जिला कोटा के पुर्नगठन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (अनु. लागत रू. 2163.30 लाख)

एजेण्डा बिन्दु पर तकनीकी समिति 511/09.02.2011 की अनुशंषा एवं मुख्य अभियन्ता (मु.) की प्रस्तुतिकरण के आधार पर विचार विमर्श किया गया । विचार विमर्श के दौरान मुख्य अभियन्ता द्वारा अवगत करवाया गया कि शहरी जल योजना सांगोद की पेयजल समस्या के स्थाई निराकरण हेतु कोटडी ग्राम के पास कालीसिंध नदी में स्थित देह को स्त्रोंत लेकर योजना बनाई गई है । योजना में कस्बें की जल वितरण प्रणालि के सुधार का प्रावधान भी सम्मिलित होना बताया गया । मुख्य अभियन्ता द्वारा उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु स्टेट प्लान (शहरी) मद में पर्याप्त बजट उपलब्ध बताते हुए योजना की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया । विचार विमर्श के उपरान्त योजना की कुल लगात रू. 2163.30 लाख (संलग्नक : 5/ए.बी. 28/नीनिस 187/27.09.2011) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति स्टेट प्लान (शहरी) : रू. 2057.86 लाख एवं एनआरडीडब्ल्यूपी : रू. 105.44 लाख मद के अन्तर्गत जारी किये जाने का निर्णय लिया गया । योजना का क्रियान्वयन बजट की उपलब्धता के आधार पर करवाया जावेगा ।

(कार्रवाई मुख्य अभियंता (मु...)/अति. मुख्य अभियंता क्षेत्र कोटा द्वारा)

<u>एजेण्डा बिन्दु : 29</u>
ग्राम गडेपान तहसील दीगोद जिला कोटा की हैण्डपम्प योजना से जनता जल योजना में परिवर्तन

एजेण्डा बिन्दु पर मुख्य अभियन्ता (ग्रा.) की प्रस्तुतिकरण के आधार पर विचार किया गया । प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्य अभियन्ता (ग्रा.) द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम गडेपान हैण्डपम्प योजना द्वारा

लाभान्वित है एवं वर्तमान में ग्रम में 16 हैण्डपम्प कार्यरत है । यह भी अवगत कराया गया कि चम्बल फर्टीलाईजर्स एवं केमिकल लि0 द्वारा ग्राम में एक नलकूप एवं भूतल जलाशय बनाया गया है तथा जिला प्रशासन द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि उक्त योजना को जनता जल योजना पेर्टन पर चलाया जावे । मुख्य अभियन्ता द्वारा उक्त परिपेक्ष्य मे प्रस्ताव बनाकर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना बताया गया । विचार विमर्श के दौरान समिति का यह विचार था कि विभाग द्वारा ग्राम हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित है अतः चम्बल फर्टीलाईजर्स एवं केमिकल लि0 द्वारा नलकूप एवं भूतल जलाशय के निर्माण को उपयोग में लेते हुए विभाग द्वारा योजना का संचालन एवं संधारण जनता जल योजना पेर्टन पर नियमानुसार किया जाना संभव नहीं है एवं उक्त योजना का संचालन एवं संधारण चम्बल फर्टीलाईजर्स द्वारा ही किया जाना चाहिए । उक्त परिपेक्ष्य में विचार विमर्श के उपरान्त योजना का संचालन एवं संधारण जनता जल योजना द्वारा किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया ।

(कार्रवाई मुख्य अभि.(ग्रामीण) द्वारा)

एजेण्डा बिन्दु : 30
शहरी जल योजना माउन्ट आबू के संवर्धन योजना की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (अनु. लागत रू. 653.25 लाख)

एजेण्डा बिन्दु पर वित्त समिति की 618वीं बैठक दिनांक 24.06.2011 की अनुशंषा एवं मुख्य अभियन्ता (मु.) की प्रस्तुतिकरण के आधार पर विचार विमर्श किया गया । विचार विमर्श के उपरान्त योजना की कुल लागत रू. 653.25 लाख (संलग्नकः 6 ए.बी.30/नीनिस 187/27.09.2011) की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति स्टेट प्लान (शहरी) मद के अन्तर्गत जारी किए जाने का निर्णय लिया गया ।

(कार्रवाई मुख्य अभियंता (मु.)/अ.मु.अ., क्षेत्र जोधपुर द्वारा)

एजेण्डा बिन्दु : 31
विस्तार जल योजना 7 जेडीडब्ल्यू एवं पाईप्ड जल योजना 6 जेआरके तहसील एवं जिला हनुमागढ की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (अनु. लागत रू. 441.79 लाख)

एजेण्डा बिन्दु पर तकनीकी समिति की 506वीं बैठक दिनांक 04.01.2011 की अनुशंषा एवं मुख्य अभियंता(ग्रामीण) की प्रस्तुतिकरण के आधार पर विचार विमर्श किया गया । विचार–विमर्श के उपरांत योजना की संशोधित लागत का वित्त समिति को विस्तार से विश्लेषण कर स्वीकृत किए जाने हेतु अधिकृत किया गया ।

(कार्रवाई मुख्य अभियंता (ग्रा.)/अति. मु.अ. बीकानेर द्वारा)

एजेण्डा बिन्दु : 32
स्वजल धारा योजना परडोली तहसील व जिला सीकर के लिए स्टेट प्लान (ग्रामीण) मद में बजट आवंटन करने बाबत

एजेण्डा बिन्दु पर मुख्य अभियन्ता (ग्रा.) की प्रस्तुतिकरण के आधार पर विचार विमर्श किया गया । चूंकि बजट आवंटन का कार्य नीति निर्धारण समिति के कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित नहीं है, अतः विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर विचार नही किये जाने का निर्णय लिया गया ।

(कार्रवाई मुख्य अभियंता (ग्रा.)/अति. मु.अ. जयपुर द्वारा)

<u>एजेण्डा बिन्दु : 33</u>
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग राज. क जल योजनाओं/परियोजनाओं हेतु पाईपों के चयन की नति में संशोधन बाबत ।

एजेण्डा बिन्दु पर नीति निर्धारण समिति की 186वीं बैठक दिनांक 24.12.2010 के निर्णय की अनुपालना में तकनीकी समिति की 517वीं बैठक दिनांक 21.04.2011 के सार संक्षेप के एजेण्डा बिन्दु 3 पर नीति निर्धारण समिति के विचारार्थ संदर्भित किये गये बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गई । चर्चा के दौरान समिति के समक्ष यह ध्यान में लाया गया कि हाल ही में शहरी विकास मंत्रालय के जल प्रदाय योजना सम्बन्धित मैन्यूअल का नया संस्करण प्रकाशित हुआ है, अतः प्रस्तावित संशोधित नीति को उपरोक्त मैन्यूअल के परिपेक्ष्य में परीक्षपण किया जाना आवश्यक है । विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि यदि विभाग की पूर्व अनुमोदित पाईपों के चयन की नीति में परिवर्तन आवश्यक हो, तो शहरी विकास मंत्रालय के जल प्रदाय योजना सम्बन्धित नये मैन्यूअल के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए, नये सिरे से प्रकरण तकनीकी समिति के माध्यम से नीति निर्धारण समिति में प्रस्तुत किया जावे ।

(कार्रवाई मुख्य अभियंता (वि. परि.)/सचिव बोर्ड द्वारा)

<u>एजेण्डा बिन्दु : 34</u>
खारे पानी से समस्याग्रस्त ग्रामों/ढाणियों में मीठा पेयजल उपलब्ध कराने हेतु डीसेलीनेशन संयंत्र लगाने के नीतिगत निर्णय बाबत

एजेण्डा बिन्दु पर मुख्य अभियन्ता (ग्रा.) की प्रस्तुतिकरण के आधार पर विचार विमर्श किया गया । विचार विमर्श के दौरान मुख्य अभियन्ता (ग्रा.) द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत एजेण्डा नोट द्वारा खारे पानी की समस्या से ग्रस्त ऐसे गांवों/ढाणियों को शीघ्र डीसेलीनेशन संयंत्र स्थापित कर अंतरिम राहत दिया जाना प्रस्तावित किया गया है जिनमें आगामी तीन–चार वर्षो में किसी सतही स्त्रोंत अधिारित परियोजनाओं से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित नहीं है । एसएलएसएससी की दिनांक 06.05.2011 को आयोजित मिटिंग में उपरोक्त एजेण्डा नोट पर लिये गये निर्णय द्वारा भी समिति को अवगत कराया गया । यह भी बताया गया कि भारत सरकार के ग्रामीण पेयजल विभाग द्वारा जारी किये पत्र दिनांक 07.07.2011 में आर.ओ. तकनीक पर आधारित डीसेलीनेशन संयंत्र को अत्याधिक मंहगा विकल्प माना गया है तथा यह सलाह दी गई है कि जहां पेयजल की अन्य वैकल्पिक व्यवस्था न हो सके ऐसी दशा में ही राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत आर. ओ. संयंत्र लगाने के कार्य को अंतिम विकल्प के रूप में ही लिया जावे । एजेण्डा बिन्दु पर विस्तार से विचार किया गया । विचार विमर्श के उपरान्त भारत सरकार के ग्रामीण पेयजल विभाग द्वारा जारी निर्देशों के परिपेक्ष्य में प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत डीसेलीनेशन संयंत्र नहीं लगाये जाने का निर्णय लिया गया ।

(कार्रवाई मुख्य अभियंता (ग्रा.) द्वारा)

<u>एजेण्डा बिन्दु : 35</u>
विभाग द्वारा पेयजल के डिसइन्फेक्शन (किटाणु रहित) करने के वैकल्पिक तरीकों पर नीतिगत निर्णय

अति. मुख्य सचिव, जन स्वा. अभि. विभाग के अशासकीय टीप दिनाक 22.06.2011 द्वारा पेयजल के डिसइन्फेक्शन (किटाणु रहित) करने के विभिन्न विकल्पों का परीक्षण कर सुझाव देने हेतु गठित समिति की रिपोर्ट एवं अनुशंषा पर मुख्य अभियन्ता (मु.) की प्रस्तुतिकरण के आधार पर विचार किया गया । प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्य अभियन्ता द्वारा पेयजल के डिसइन्फेक्शन हेतु प्रचलित विभिन्न विकल्पों के तकनीकी एवं आर्थिक पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया एवं गठित समिति द्वारा दी गई अनुशंषाओं से अवगत कराया गया । एजेण्डा बिन्दु पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया एवं विचार विमर्श उपरान्त समिति द्वारा दी गई अनुशंषाओं अनुसार विभाग द्वारा पेयजल के डिसइन्फेक्शन करने के विकल्पों पर निम्नानुसार नीतिगत निर्णय लिया गया :–

- In rural/ urban water supply schemes/ distribution centres handling upto 0.5 MLD of water, chlorination shall be done with Bleaching Powder. Proper storage, handling, mixing and dosing of Bleaching Powder shall be ensured as per guideliines prescribed in CPHEEO Manual of GOI and as issued by the department from time to time.

- For water supply scheme with direct pumping to distribution system from a tube well, chlorination shall be done by injecting Hypochlorite Solution.
- In water treatment plant or headworks handling more than 0.5MLD of water and located outside habitations (at least 0.5KM), chlorination shall be done by Liquid Chlorine. Proper storage, handling and doing of Liquid Chlorine and related safetly measures shall be ensured as per guidelines prescribed in CPHEEO Manual of GOI and as issued by the department from time to time.

- In water supply headworkos with more than 0.5MLD supply and located in thickly populated urband areas having regular power supply, chlorination shall be done using Electro-Chlorinator.

- Disinfection by Liquid Chlorine and using Electro-Chlorinator shall be got done through departmental staff if skilled manpower is available, otherwise, it shall be got done through priate operator. The contractr could be either for supply, installation and maintenance for 5 to 10 years or for providing chlorination as servie on per ML basis, wherein contractor makes capital investment for equipment as well as for the consumables and electricity.

उक्त नीतिगत निर्णय के क्रियान्वयन हेतु मुख्य अभिंयता(मु.) द्वारा एक परिपत्र जारी किए जाने एवं उक्त नीति को समयबद्ध (time bound) तरीके से क्रियान्वित करने का भी समिति द्वारा निर्णय लिया गया।

(कार्रवाई मुख्य अभियंता(मु.) द्वारा)

एजेण्डा बिन्दु : 36
नलकूप निर्माण कार्य में पम्पसेट आपूर्ति व स्थापना का कार्य मय 5 वर्ष के डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड के साथ–साथ नलकूप का संचालन एवं संधारण कार्य करवाये जाने का नीतिगत निर्णय

एजेण्डा बिन्दु पर मुख्य अभियंता (मु.) की प्रस्तुतिकरण के आधार पर विचार किया गया। प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्य अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि नीति निर्धारण समिति की 183वीं बैठक दिनांक 05.3.2010 के एजेण्डा बिन्दु 1 पर निजी ठेकेदारों से नलकूप निर्माण कार्य की निविदा प्रपत्र की शर्तों के पुनरावलोकन के एजेन्डे के अन्तर्गत लिये गये निर्णयानुसार निर्मित नलकूपों में उच्च गुणवत्ता वाले फाईव स्टार रेटिंग के पम्प मय न्यूनतम पांच वर्ष डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड के लगाये जाने के प्रावधान निविदा प्रपत्र में किए जाने का निर्णय लिया गया था। नलकूप निर्माण एवं इसके संचालन एवं संधारण की भिन्न ऐजेन्सियां होने से पम्प सेट खराब होने की दशा में उत्पन्न हो रहे विवाद को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य अभियंता द्वारा यह प्रस्तावित किया गया कि नलकूप निर्माण की एजेन्सी द्वारा ही नलकूप का संचालन एवं संधारण किया जावे एवं तद्नुसार नलकूपों के निर्माण कार्य की निविदा पत्रों में संचालन एवं संधारण कार्य भी सम्मिलित किया जावे। प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई । विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार नीतिगत निर्णय लिया गया–

- नलकूप निर्माण के निविदा प्रपत्र में नलकूप निर्माण के साथ नलकूप में उच्च गुणवत्ता वाले फाईव स्टार रेटिंग के पम्प लगाने एवं नलकूप के पांच वर्ष तक संधारण एवं संचालन का कार्य सम्मिलित किया जावेगा।
- नलकूप के निर्माण के साथ संधारण एवं संचालन का कार्य केवल ऐसी योजनाओं पर सम्मिलित किया जावेगा जहां योजना पर उपलब्ध कर्मचारियों द्वारां नये नलकूप/नलकूपों को संचालित एवं संधारित किया जाना संभव नहीं हो ।
- संधारण एवं संचालन का कार्य सम्मिलित करते समय इसके आर्थिक पहलुओं पर भी विस्तार से विश्लेषण किया जावेगा ।

(कार्रवाई मुख्य अभियंता (मु.) द्वारा)

एजेण्डा बिन्दु : 37
जेके लक्ष्मीपत सिंघानिया एवं मनीपाल विश्वविद्यालयों में विभाग द्वारा जल उपलब्ध कराये जाने के नीतिगत निर्णय बाबत

नीति निर्धारण समिति के अधिकार क्षेत्र से सम्बन्धित नहीं होने के कारण मुख्य अभियन्ता (वि.परि.) के एजेण्डा बिन्दु पर समिति द्वारा विचार नहीं किया गया । मुख्य अभियन्ता (वि.परि.) इसी प्रकार के सभी प्रकरणों को ध्यान में रखते हुए शहरी विकास विभाग के

सामन्यजस्य से राज्य स्तरीय नीति बना कर प्रशासनिक अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगें ।

(कार्रवाई मुख्य अभियंता (वि.परि.) द्वारा)

एजेण्डा बिन्दु : 38
विभाग के कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु तृतीय पक्ष द्वारा जांच के नीतिगत निर्णय बाबत

एजेण्डा बिन्दु पर मुख्य अभियन्ता (प्रशा.) एवं तकनीकी सदस्य की प्रस्तुतिकरण के आधार पर विचार किया गया । प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्य अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग के कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु तृतीय पक्ष द्वारा जांच कराये जाने के कार्य की लागत का प्राथमिक आंकलन किया गया है तथा प्राथमिक आंकलन अनुसार इस कार्य की अनुमानित लागत कार्य की मूल लागत का लगभग 5 प्रतिशत आता है । समिति द्वारा मुख्य अभियन्ता के एजेण्डा बिन्दु पर विस्तार से विचार किया गया । विचार विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा निम्न निर्णय लिये गये –

- विभाग के कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विभाग की वर्तमान व्यवस्था ही जारी रखी जावे, जिसके अनुसार विभाग के विभिन्न स्तर के अधिकारियों को निर्धारति मापदण्डों के अनुसार जांच की जानी होती है ।
- कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा विस्तृत मैन्यूअल तैयार किया जावे तथा अनुमोदन पश्चात् इसे प्राथमिकता पर विभाग में लागू किया जावे ।
- पेयजल योजनाओं/परियोजनाओ से सम्बन्धित कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आरयूआईडीपी एवं अन्य राज्यो में लागू पद्धति का विस्तार से अध्ययन करवाया जावे एवं, विभाग के कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत प्रस्ताव बना कर प्रस्तुत किया जावे ।

(कार्रवाई मुख्य अभियंता (प्रशासन.) द्वारा)

एजेण्डा बिन्दु : 39 से 42, 46 से 50 एवं 52 से 54
वृहत पेयजल परियोजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

एजेण्डा बिन्दुओं पर मुख्य अभियन्ता (वि.परि.) की प्रस्तुतिकरण के आधार पर विचार किया गया । प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्य अभियन्ता द्वारा विभाग की चालू (on going) एवं प्रस्तावित नई एवं संशोधित परियोजनाओं के कियान्वयन की कार्य योजना प्रस्तुत की गई तथा यह आश्वस्त किया गया कि वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुमोदित प्लान एवं आगामी दो वित्तीय वर्ष यथा 2012–13 एवं 2013–14 के संभावित प्लान सीमा के अन्तर्गत ही चालू एवं प्रस्तावित योजनाओं का कार्य पूरा करा लिया जावेगा । मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रस्तावित नई एवं संशोधित योजनाओं के प्रावधानों को संक्षेप में अवगत कराते हुए, योजनाओं की स्वीकृति/संशोधित स्वीकृति जारी किए जाने का अनुरोध किया गया ।
प्रस्तावित नई एवं संशोधित स्वीकृतियों पर विचार विमर्श के दौरान

विशेषाधिकारी वित्त (व्यय–III) विभाग द्वारा यह चाहा गया कि उपरोक्त स्वीकृतियां जारी करते समय विभाग द्वारा यह आश्वस्त कर लिया जावे कि चालू एवं प्रस्तावित योजनाओं का कार्य चालू वित्तीय वर्ष एवं आगामी दो वित्तीय वर्षो की योजना सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण हो जावे एवं इन स्वीकृतियों के कारण कोई अतिरिक्त वित्तीय दायित्व (Liability) उत्पन्न न हो । साथ ही नई स्वीकृत होने वाली परियोजनाओं के लिए पृथक से बजट हैड खुलवाये जाने का भी सुझाव दिया गया ।

विचार विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार परियोजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति/संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न अनुवृद्धियों के साथ जारी किए जाने का निर्णय लिया गया :

- परियोजनाओं हेतु प्रस्तावित मद प्रावधान (Funding) को पत्रावली पर वित्त विभाग एवं आयोजना विभाग को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जावेगा एवं अनुमोदन पश्चात् ही परियोजनाओं की निविदा प्रकिया प्रारम्भ की जावेगी ।
- परियोजनाओं के प्रस्तावों पर तकनीकी सदस्य तथा वित्तीय सलाहकार एवं मु.ले.अ. द्वारा जांच पश्चात् की गई टिप्पणियों का समुचित समायोजन तकनीकी स्वीकृति के प्रस्तावों में किया जावेगा । इन टिप्पणियों की पालना स्वरूप हुई बचत को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में लेप्स माना जावेगा ।
- तकनीकी स्वीकृति जारी करते समय विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों/नीतियों मय पाईप चयन की नीति को ध्यान में रखा जावेगा एवं तकनीकी स्वीकृति उपरान्त ही तद्नुसार योजना का कियान्वयन हाथ में लिया जावेगा ।
- वित्त व आयोजना विभाग से कार्य योजना का अनुमोदन करवा कर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे ।

एजेण्डा बिन्दु संख्या	परियोजना का नाम	अनु. लागत (करोड रू. में)	बजट मद	संलग्नक
39	चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना की ट्रांसमिशन प्रणालि (वित्तीय स्वीकृति)	727.99	स्टेट प्लान (शहरी): 307.99 स्टेट प्लान (ग्रामीण) नाबार्ड: 210.00 NRDWP (Sustainabilty): 105.00 NRDWP (Coverage): 105.00	7/ए.बी. 39/ नीनिस 187/ 27.09.2011

40	बाडमेर लिफ्ट पेयजल परियोजना फैज–II, पार्ट–ए (भाडका–चौकला – बादरा (पूर्व))	202.36	13वां वित्त आयोगः 60.00 NRDWP (DDP): 142.36	8/ए.बी. 40/ नीनिस 187/ 27.09.2011
41	आपणी योजना पेयजल परियोजना द्वितीय चरण (रतनगढ–सुजानगढ अनुभाग)	362.22	स्टेट प्लान (शहरी)ः 128.91 स्टेट प्लान (ग्रामीण) नाबार्डः 216.75	9/ए.बी. 41/ नीनिस 187/ 27.09.2011
42	नागौर लिफ्ट पेयजल परियोजना द्वितीय चरण की ट्रांसमिशन प्रणालि	827.39	स्टेट प्लान (शहरी)ः 210.05 NRDWP (Sustainabilty): 23.53 NRDWP (Coverage/DDP): 201.10 NABARD: 344.37 स्टेट प्लान (ग्रामीण)ः 48.34	10/ए.बी. 42 /नीनिस 187 / 27.09.2011
46	भीमनी पेयजल परियोजना तहसील पचपहाड जिला झालावाड (चरण–द्वितीय)	30.38	NRDWP (Sustainabilty): 2.16 NRDWP (Coverage): 14.32 स्टेट प्लान (ग्रामीण)ः 14.32	12/ए.बी. 46 /नीनिस 187 / 27.09.2011
47	माधवी पेयजल परियोजना तहसील गंगधार जिला झालावाड	30.87	NRDWP (Sustainabilty): 2.44 NRDWP (Coverage): 14.215 स्टेट प्लान (ग्रामीण)ः 14.215	13/ए.बी. 47 /नीनिस 187 / 27.09.2011
48	ग्रामीण जल योजना माणकलाव खांगटा जिला जोधपुर (संशोधित प्रशा. एवं वित्तीय स्वीकृति)	111.82	NRDWP (DDP)	14/ए.बी. 48 /नीनिस 187 / 27.09.2011
49	चम्बल धौलपुर भरतपुर पेयजल परियोजना के अन्तर्गत मल्लाह (भरतपुर से डीग) तक की ट्रांसमिशन प्रणालि (संशोधित प्रशा. एवं वित्तीय स्वीकृति)	121.01		15/ए.बी. 49 /नीनिस 187 / 27.09.2011
50	चम्बल धौलपुर भरतपुर पेयजल परियोजना के अन्तर्गत डीग से कांमा–पहाडी एवं डीग से नगर तक की ट्रांसमिशन प्रणालि	84.66		16/ए.बी. 50 /नीनिस 187 / 27.09.2011

52	पोकरण फलसूण्ड बालोतरा सिवाना लिफ्ट परियोजना (संशोधित प्रशा. एवं वित्तीय स्वीकृति)	1454.20		17 / ए.बी. 52 / नीनिस 187 / 27.09.2011
53	जवाई पाईप लाईन क्लस्टर परियोजना	199.40		18 / ए.बी. 53 / नीनिस 187 / 27.09.2011
54	ग्रामीण जल प्रदाय योजना उम्मेदसागर–धावा– समदडी–खण्डप पार्ट–III जिला बाडमेर (संशोधित प्रशा. एवं वित्तीय स्वीकृति)	575.46	स्टेट प्लान (ग्रामीण) नाबार्डः 170.44 NRDWP (DDP): 366.87 स्टेट प्लान (शहरी): 34.12 डिपोजिटः 4.03	19 / ए.बी. 54 / नीनिस 187 / 27.09.2011

(कार्रवाई मुख्य अभियंता (वि.परि.) / जोधपुर एवं सम्बन्ति अ.मु.अ.द्वारा)

एजेण्डा बिन्दु : 43 क्षेत्रीय जल योजना इन्द्रोका–माणकलाव–बनाड फैज–I जिला जोधपुर की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (अनु. लागत रू. 2213.11 लाख)

एजेण्डा बिन्दु पर मुख्य अभयन्ता (जोधपुर) की प्रस्तुतिकरण के आधार पर विचार किया गया । प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्य अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नीति निर्धारण समिति की 153वीं बैठक दिनांक 30.08.2003 में अनुमानित लागत रू. 18.96 करोड की जारी की गई थी एवं योजना के कियान्वयन के दौरान हुई मकूल्य वृद्धि एवं साईट की परिस्थितियों के कारण योजना की कुल लागत बढकर 2213.11 लाख रू. हो गई है । मुख्य अभयन्ता द्वारा वास्तवित क्रियान्वयन को दृष्टिगत रखते हुए योजना की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किए जाने का अनुरोध किया गया । मुख्य अभियन्ता के प्रस्तुतिकरण के आधार पर विचार विमर्शा के उपरान्त योजना कुल लागत रू. 2213.11 लाख (संलग्नक 11 / ए.बी. 43 / नीनिस 187!27.09.2011) की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.(डीडीपी) मद के अन्तर्गत जारी किये जाने का निर्णय लिया गया ।

(कार्रवाई मुख्य अभियंता जोधपुर द्वारा)

एजेण्डा बिन्दु : 44 जोधपुर शहन में एकल दायित्व संविदा के आधार पर घरेलु वाटर मीटर लगाने के कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (अनु. लागत रू. 575.00 लाख)

एजेण्डा बिन्दु : 56 जयपुर शहर में एकल दायित्व संविदा के आधार

एजेण्डा बिन्दुओं पर मुख्य अभियन्ता (मु.) की प्रस्तुतिकरण के आधार पर विचार किया गया । विचार विमशर्प के दौरान समिति द्वारा एकल दायित्व संविदा आधार पर घरेलु वाटर मीटर लगाने एवं उनके 7 वर्ष तक रख–रखाव के कार्य के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई । चर्चा के दौरान समिति का यह मत था कि इस प्रकार के कार्य हाथ में लेने से पूर्व इस कार्य से प्रभावित सभी Stakeholders के मत एवं विचारों को सम्मिलित करते हुए विस्तृत नीति बनाये जाने की आवश्यकता है । विचार विमर्श के उपरान्त

पर घरेलु वाटर मीटर लाने के काम्र की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (अनु. लागत रू. 700.00 लाख)

प्रस्ताव की संशोधित स्वीकृति जारी नहीं किए जाने एवं पूर्व में जारी स्वीकृति का कियान्वयन नहीं कराये जाने का निर्णय लिया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि विभाग द्वारा इस कार्य हेतु शीघ्र ही एक नीति बना कर अनुमोदनार्थ नीति निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत की जावे ।

(कार्रवाई मुख्य अभियंता (मु.) द्वारा)

एजेण्डा बिन्दु : 45
जयपुर शहर में टेंकरों द्वारा जल परिवहन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (अनु. लागत रू. 573.51 लाख)

एजेण्डा बिन्दु पर मुख्य अभियन्ता (मु.) की प्रस्तुतिकरण के आधार पर विचार किया गया । विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्तावित जल परिवहन के विस्तृत प्रस्ताव पत्रावली पर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया ।

(कार्रवाई मुख्य अभियंता (मु.) द्वारा)

एजेण्डा बिन्दु : 51
चम्बल धौलपुर भरतपुर पेयजल परियोजना के अन्तर्गत मल्लाह (भरतपुर) के तहसील भरतपुर रूपवास एवं कुम्हेर के 155 गांवों को क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओ से लाभान्वित करने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (अनु. लागत रू. 93.46 करोड)

एजेण्डा बिन्दु पर मुख्य अभियन्ता (वि.परि.) की प्रस्त्ुतिकरण के आधार पर विचार किया गया । प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्य अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि चम्बल धौलपुर भरतपुर परियोजना के प्रथम चरण के भाग–I की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नीति निर्धाण समिति की 130वीं बैठक दिनांक 06.07.1999 में अनुमानित लागत रू. 166.50 करोड की जारी की गई थी जिसमें मल्लाल (भरतपुर) से 75 गांवों को लाभान्वित किया जाना लक्षित था । मुख्य अभियन्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि परियोजना की ट्रांसमिशन प्रणाली का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है अतः मल्लाह हैडवर्क्स से परियोजना के चरण प्रथम के भाग–II के 79 गांवों को भी अब लाभान्वित किया जा सकता है अतः मल्लाह हैडवर्क्स से कुल 154 ग्रामों को वर्तमान में लाभान्वित करने के प्रस्ताव बना कर स्वीकृति हतु प्रस्तुत किये गये है । मुख्य अभियन्ता द्वारा योजना की संशाधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया । विचार विमर्श के दौरान अध्यक्ष का यह विचार था कि परियोजना के चरण प्रथम के भाग–I के मल्लाह हैडवर्क्स से स्वीकृत 75 ग्रामों को ही वर्तमान में लाभान्वित किया जाना चाहिए एवं तदुपरान्त शेष गांवों के लाभन्वन हेतु प्रस्ताव बना कर पृथक से स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जाने चाहिए । विचार विमर्श के उपरान्त मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया ।

कार्रवाई मुख्य अभियंता (वि.परि.) द्वारा)

एजेण्डा बिन्दु : 55
शहरी जल योजना हनुमानगढ के पुर्नगठन के चरण–II की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (अनु. लागत रू. 16.52 करोड)

मुख्य अभियन्ता (मु.) द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर तकनीकी सदस्य तथा वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के आक्षेपों के जवाब प्राप्त होने एवं उनकी जांच के पश्चात् प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया ।

कार्रवाई मुख्य अभियंता (मु..) द्वारा

<u>एजेण्डा बिन्दु : 57</u>
पीपलिया अनुभाग तहसील रायपुर जिला पाली के 18 ग्रामों की पेयजल योजना के पुर्नगठन की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (अनु. लागत रू. 27.92 करोड)

एजेण्डा बिन्दु पर तकनीकी समिति की 533वीं बैठक दिनांक 08.09.2011 की अनुशंषा एवं मुख्य अभियन्ता, जोधपुर की प्रस्तुतिकरण के आधार पर विचार किया गया । प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्य अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एम्पावड बोर्ड समिति की बैठक दिनांक 26.12.2005 में अनुमानित लागत रू. 1507.95 लाख की जारी की गई थी परन्तु योजना हेतु मद उपलब्ध न होने से योजना का क्रियान्वयन कराया जाना संभव नहीं हो सका है । अब उक्त योजना को विभाग की वर्तमान नीति एवं वर्तमान दरों पर तकमीनें बना कर पुनः संशोधित स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है । मुख्य अभियन्ता द्वारा योजना की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किए जाने का अनुरोध किया गया । मुख्य अभियन्ता के प्रस्तुतिकरण के आधार पर विचार विमर्श के उपरांन्त योजना की कुल लगात रू. 27.52 करोड (संलग्नक : 20/ए.बी. 57/नीनिस 187/ 27.09.2011) की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. (डीडीपी) मद के अन्तर्गत निम्न अनुवृद्धियों के साथ जारी किये जाने का निर्णय लिया गया :

- योजना की तकनीकि स्वीकृति के प्रस्तावों में तकनीकी सदस्य एवं वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी की एजेण्डा नोट पर दी गई टिप्पणियों को समुचित रूप से समायोजन किया जावेगा एवं इस कारण हुई बचत को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से लेप्स मानी जावेगी ।
- पैकेजेज की तकनीकी स्वीकृति जारी करते समय विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों/नीतियों (मय पाईप चयन की नीति) को ध्यान में रखा जावेगा एंव तकनीकी स्वीकृति उपरान्त ही तद्नुसार योजना का क्रियान्वयन हाथ में लिया जावेगा ।
- योजना के क्रियान्वयन से पूर्व योजना हेतु बजट की उपलब्धता सुनिश्चित की जावेगी ।

(कार्रवाही मुख्य अभियन्ता, जोधपुर द्वारा)

<u>एजेण्डा बिन्दु : 58</u>
क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना लूणकरणसर जिला बीकानेर के संवर्धन योजना की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (अनु. लागत रू. 995.52 लाख

एजेण्डा बिन्दु पर तकनीकी समिति की 535वीं बैठक दिनांक 20.09.2011 की अनुशंषा एवं मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) की प्रस्तुतिकरण के आधार पर विचार किया गया । प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्य अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एम्पावर्ड बोर्ड समिति की बैठक दिनांक 26.12.2005 में अनुमानित लागत रू. 772.00 लाख की जारी की गई थी परन्तु योजना की स्वीकृति पश्चात् क्रियान्वयन के समय मूल्य वृद्धि होने के कारण योजना की लागत बढ कर रू. 995.62 लाख हो गई है ।

मुख्य अभियन्ता द्वारा योजना की लागत में वृद्धि के कारणों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए योजना की संशाधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किए जाने का अनुरोध किया गया । मुख्य अभियन्ता के प्रस्तुतिकरण के आधार पर विचार विमर्श के उपरान्त योजना की कुल लागत रू. 995.62 लाख (संलग्नक 21/ए.बी.58/नीनिस 187/27.09.2011) की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एन. आर. डी. डब्ल्यू.पी. मद के अन्तर्गत जारी किये जाने का निर्णय लिया गया ।

(कार्रवाही मुख्य अभियन्ता, (ग्रा.) द्वारा)

एजेण्डा बिन्दु : 59
मांसीवाकल से तहसील झाडोल जिला उदयपुर के 22 गांवों की क्षेत्रीय जल योजना की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (अनु. लागत रू. 1228.75 लाख)

एजेण्डा बिन्दु पर तकनीकी समिति की 533वीं बैठक दिनांक 08.09.2011 की अनुशंषा एवं मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) की प्रस्तुतिकरण के आधार पर विचार किया गया । प्रस्तुतिकरण के दोरान मुख्य अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नीति निर्धारण समिति की 171वीं बैठक दिनांक 07.08.2006 में अनुमानित लागत रू. 765.64 लाख की जारी की गई थी परन्तु योजना की स्वीकृति पश्चात् क्रियान्वयन के समय मूल्य वृद्धि होने के कारण योजना की लागत बढ कर रू. 1228.75 लाख हो गई है । मुख्य अभयन्ता द्वारा योजना की लागत में वृद्धि के कारणों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए योजना की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किए जाने का अनुरोध किया गया । मुख्य अभियन्ता के प्रस्तुतिकरण के आधार पर योजना की कुल संशोधित लागत रू. 1228.75 लाख, जो बहुत अधिक (लगभग दुगनी) आंकी गई है । विचार विमर्श उपरान्त अत्याधिक वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकरण को पूर्ण ओचित्य के साथ पत्रावली पर प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया ।

(कार्रवाही मुख्य अभियन्ता, (ग्रा.) /अ.मु.अ. क्षेत्र उदयपुर द्वारा)

अन्त में अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करते हुये बैठक का समापन किया गया।

सचिव,
राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मंडल
जयपुर.

संलग्नक: 1/ए.बि. 23/नीनिस 187/27.09.11

Construction of RCC OHSR at WSS, 16 AG Bhompura
Tehsil & Distt. Hanumangarh
General Abstract of Cost

S. N.	Particulars of item	Estt. Cost (Rs. in lacs)
1	Construction of OHSR capacity 260 KL	31.20
2	Provision for P,L and J of Pipe lines for Rising Main	1.96
3	Distribution pipe line	1.87
4	Provision for pumping machinery	2.40
	Total	**37.43**
	Add 5% Contingency Charges	1.87
	Total	**39.30**
	Add 11% prorata charges	4.32
	Grand Total	**43.62**

संलग्नक: 2/ए.बि. 24/नीनिस 187/27.09.11

Construction of RCC OHSR at WSS, 15 JDW (Pucca Bhadwa)
Tehsil & Distt. Hanumangarh
General Abstract of Cost

S. N.	Particulars of item	Estt. Cost (Rs. in lacs)
1	Construction of OHSR capacity 170 KL	20.40
2	Provision for P,L and J of Pipe lines for Rising Main	12.67
3	Distribution pipe line	7.04
4	Provision for pumping machinery	2.40
	Total	**42.51**
	Add 5% Contingency Charges	2.12
	Total	**44.63**
	Add 11% prorata charges	4.91
	Grand Total	**49.54**

संलग्नक: 3/ए.बि. 25/नीनिस 187/27.09.11

Construction of RCC OHSR at WSS, 5 LK (Lakhuwali)
Tehsil & Distt. Hanumangarh
General Abstract of Cost

S. N.	Particulars of item	Estt. Cost (Rs. in lacs)
1	Construction of OHSR capacity 325 KL	39.00
2	Provision for P,L and J of Pipe lines for Rising Main	12.67
3	Distribution pipe line	7.04
4	Provision for pumping machinery	3.30
	Total	**62.01**
	Add 5% Contingency Charges	3.10
	Total	**65.11**
	Add 11% prorata charges	7.16
	Grand Total	**72.27**

संलग्नकः 4/ए.बि. 26/नीनिस 187/27.09.11

Construction of RCC OHSR at WSS, 18 LLW-A (Hirnanwali) Tehsil & Distt. Hanumangarh

General Abstract of Cost

S. N.	Particulars of item	Estt. Cost (Rs. in lacs)
1	Construction of OHSR capacity 270 KL	32.40
2	Provision for P,L and J of Pipe lines for Rising Main	7.04
	Total	**39.44**
	Add 5% Contingency Charges	1.97
	Total	**41.41**
	Add 11% prorata charges	4.56
	Grand Total	**45.97**

संलग्नकः 5/ए.बि. 28/नीनिस 187/27.09.11

Reorganisation of UWSS, Sangod, Distt. Kota

General Abstract of Cost

S. N.	Particulars of item	Estt. Cost (Rs. in lacs)
1	Provision for construction of intake well and approach road with procurement and installation of 50 HP VT pumping sets (2 Nos.)	191.89
2	Provision for P,L and J of raw water Rising Main (350mm dia DI K-7 X 1000M)	64.40
3	Provision for construction of 275 KLH water treatment plant	176.73
4	Provision for CWPH near WTP with pump sets	46.34
5	Provision for P, L & J of transmission pipe line (300mm dia DI K-7 X 10200M)	419.72
6	Construction of clear water pump house at Sangod with procurement and installation of 40 HP centrifugal pumping sets	33.55
7	Provision for P, L & J of distribution pipe lines for UWSS Sangod.	228.67
8	Provision for construction of storage; CWR: 700KL at WTP and 500KL at Sangod OHSR: 1200KLX 18M and 300KLX 18M at Sangod 130KLX 18M at Laxmipura GLR: 60KL at Kotri	278.12
9	Provision for P,L & J of village distribution pipe lines with construction of PSP's CWT and installation of water meter.	21.30
10	Provision for construction of boundary wall, bleaching powder store and repair of existing buildings etc. complete job.	78.44
11	Provision for bulk water meters, road cutting and inter connection of existing to proposed pipe lines.	80.00
12	Provision for T & P.	14.50
13	Provision for artificial recharging of ground water	23.00
14	Provision for power connection	99.83
15	Provision for Operation & Maintenance (5 Years)	99.61
	Total	**1856.11**
	Add 5% Contingency Charges	92.81
	Total	**1948.92**
	Add 11% prorata charges	214.38
	Grand Total	**2163.30**

संलग्नकः 6 / ए.बि. 30 / नीनिस 187 / 27.09.11

Aug. of UWSS Mount Abu
(Replacement of old defective pipe lines for distribution system)

General Abstract of Cost

S. N.	Particulars of item	Estt. Cost (Rs. in lacs)
1	Pipe line: 17360 DI K-7 size 100mm to 400mm	237.67
2.	L & J of pipe line including earth work and other allied works.	247.74
3.	P & F of Sluice valve, Scour valves, MS cover for air valves and construction of sluice valve chambers.	75.08
	Total	560.49
	Add contingency charges @ 5%	28.02
	Sub Total	588.51
	Add prorate charges @ 11%	64.74
	G. Total	653.25

संलग्नकः 7/ए.बि. 39/नीनिस 187/27.09.11

Transmission System of Chambal- Bhilwara Water Supply Project

General Abstract of Cost

S. N.	Particulars of item	Estt. Cost (Rs. in lacs)
1	Construction of pump house and sump, including providing and installation of the pumping machinery and switchyard at intake pumping station.	2345.14
2	Raw water Pumping Main from Intake to Bhunjar khurd and all allied works required for protection and efficient operation of system.	5565.16
3	Construction of pump house and sump, including providing and installation of the pumping machinery and switchyard at Bhunjar khurd pumping station.	1888.47
4	Raw water Pumping Main from Bhunjar khurd to Tilsva IPS and all allied works required for protection and efficient operation of system.	6725.00
5	Construction of pump house and sump, including providing and installation of the pumping machinery and switchyard at Tilsva pumping station.	1525.97
6	Raw water Pumping Main from Tilsva IPS to Rasadpura WTP and all allied works required for protection and efficient operation of system.	4162.15
7	245 MLD Capacity Water Treatment Plant & Clear Water Reservoir & Sump & Switchyard and other ancillary Civil Works. Campus Development and all allied works required for protection and efficient operation of plant & system at Rasadpura.	5935.92
8	Clear Water Transmission Main from WTP Rasadpura to Bhilwara Jn and all allied works required for protection and efficient operation of system.	18301.00
9	Clear Water Transmission Main from Bhilwara Jn to Kawa kheda, Vidhya Niketan, Sukhadia Circle and main PHED Head works and all allied works required for protection and efficient operation of system.	1242.54
10	Instrumentation for the system including providing the SCADA & PLC system.	700.00
11	Construction of service roads along different reaches of transmission mains	83.70
12	Power connection at Intake, Bhunjar khurd, Tilsva, Bhilwara Jn., Danta Pyara and Haripura Chauraha.	1471.43
13	Survey and consultancy work including design and preparation of Detail Feasibility Report for the 392 villages of the Asind and Mandal Tehsil of Bhilwara district.	125.00
14	Clear Water Transmission Main from Bhilwara Jn. To Danta Pyara to Mandal, Mandal to Haripur Chauraha and all allied works required for protection and efficient operation of system.	4284.71
15	Pumping Station including Pumping Machinery and Electrical accessories including pump house, CWR etc. at Bhilwara Jn.	638.25
16	Pumping Station including Pumping Machinery and Electrical accessories including pump house, CWR etc. at Danta Pyara.	385.34
17	Pumping Station including Pumping Machinery and Electrical accessories including pump house, CWR etc. at Haripur Chauraha.	308.21
18	Forest Wild Life Compensation and Land Acquisition	3395.00
19	Bhilwara Distribution System	7470.00
	Sub Total	**66552.99**
	Add : contingency @ 5%	3327.65
	Add Pro-rata charges on Urban component	2919.01
	Grand Total	**72799.65**

संलग्नकः 8/ए.बि. 40/नीनिस 187/27.09.11

Barmer Lift Water Supply Project
Phase-II (Part-A): Bhadakha- Chokhala- Bandra East
General Abstract of Cost

S. N.	Particulars of item	Estt. Cost (Rs. in lacs)
1	Transmission Mains	7406.36
2.	Distribution Mains	2249.16
3.	Pumping Station	226.33
4.	Power Connection	21.90
5.	ESRs,MBRs & CWRs	3491.80
6.	Inauguration and Land marking etc.	27.20
7.	Flow meters and flow control mechanism	1111.21
8.	Land Acquisition	1033.00
9.	Functional Buildings & Ancillary works	178.80
10.	Disinfection Facilities	153.20
11.	PLC & SCADA	700.00
12.	IEC Activities	129.00
13.	Plantation	9.90
	Basic cost	**16737.86**
	Price escalation @ 10%	1673.79
	Basic cost inclusive of PE	**18411.65**
	O&M for 10 years @ 5.5% except on 4,6, & 8	861.07
	Total including O&M	**19272.72**
	Add 5% for contingencies	963.64
	Grand Total	**20236.36**
	Say Rs.	**202.36 Cr.**

संलग्नकः 9/ए.बि. 41/नीनिस 187/27.09.11

Apani Yojana Water Supply Project Phase-II
Package-1: Ratangarh-Sujangarh Section
General Abstract of Cost

S. N.	Particulars of item	Estt. Cost (Rs. in lacs)
1	Up gradation of electrical and mechanical equipment at Dhannasar, Pallu and Sardarshahar head works.	1223.70
2	P,L & J of MS/DI pipes for transmission main (size 400mm to 1100 mm)	22457.06
3	Construction of pump houses with pumping machinery	5080.72
4	Construction of CWRs at different head works.	1578.50
5	Spares for electrical/mechanical, instrumentation, pipe line.	120.49
6	Tools & tackles	20.09
7	Replacement of Water meters	51.00
8	Rehabilitation of cluster mains	20.00
9	Construction of RWR of capacity 1630 ML	570.50
10	O&M for 10 years.	2334.15
11	Miscellaneous items	1041.40
	Sub Total	**34497.61**
	Add 5% contingency charges	1724.88
	Grand Total	**36222.49**
	Say Rs.	**362.22 Crs.**

संलग्नकः 10 / ए.बि. 42 / नीनिस 187 / 27.09.11

Transmission System of Nagaur Lift Water Supply Project Phase-II

General Abstract of Cost

S. N.	Particulars of item	Estt. Cost (Rs. in lacs)
1	Provision for up-gradation of WTP from 74 to148 MLD	957.00
2	Provision for up-gradation of EMI works to 148 MLD at Nokha Daiya and Deshnok.	671.71
3	Provision for extension of 33 KV Switchyard at Nokha Daiya and Deshnok.	200.00
4	Share cost to be paid to IGNP for Hydro-Electro-Mechanical works	1241.35
5	Provision for P,L & J of temporary pipe line of 800 mm DI K-7 from Deedwana Bypass crossing to Deh Junction point	2274.20
6	Provision for P,L & J of clear water transmission mains from Deh village to Jayal, Jayal to Degana, Jayal to Kerap, Kerap to Deedwana, Kerap to Ladnun, Kerap to Kuchaman, Kuchaman to Nawa, Makarana Parabatsar and Gogelao to Deedwana Bypass crossing.	46862.08
7	Provision for construction of PH at Transfer & Terminal locations	1100.00
8	Provision for 33 KV dedicated power feeder & Switchyards at Transfer and Terminal PH.	3105.00
9	Provision for EMI works at Transfer and Terminal PH.	678.00
10	Construction of CWRs at Transfer and Terminal PH.	2354.97
11	Provision for SCADA System	650.00
12	Provision for construction of CPH.	400.00
13	Provision for EMI works at CPH	197.25
14	Provision for construction of CWR at CPH.	132.92
15	Provision for dedicated 33 KV power feeder & Switchyard at CPH	695.00
16	Provision for pipe line for dovetailing with existing Rural RWSS.	12810.10
17	Provision for IEC activities and survey work for CDS	700.00
18	Improvement of Urban Water Supply Scheme with emphasis of reduction of NRW.	1872.06
	Sub Total	**76901.64**
	Add contingency @ 5%	3845.08
	Add Pro-rata charges on Urban component @11%	1991.83
	Grand Total	**82738.56**

संलग्नकः 11/ए.बि. 43/नीनिस 187/27.09.11

Revised A&F of Regional WSS Indroka-Manaklao –Banar Phase-I Distt. Jodhpur

General Abstract of Cost

S. N.	Particulars of item	Amount (Rs. in lacs)
1	Carrying systems of Raw Water Gravity main from off take point of RGLC RD 191.81 Indroka to Manaklao (Package-I)	832.57
2	Construction of Raw water storage tank (Diggi) at Manaklao (Package-II)	779.88
3	Construction of rapid sand gravity water treatment plant at Manaklao (Package-III)	387.00
4	Construction of U.G. CWR and Pump House (Package IV)	158.02
5	Development of Head works and Power Connection (Package V)	55.64
	Total	**2213.11**

संलग्नकः 12/ए.बि. 46/नीनिस 187/27.09.11

Bhimani Water Supply Project Phase-2

General Abstract of Cost

S. N.	Particulars of item	Estt. Cost
1	Supply & installation of Pumping Machinery at Intake Pumping Station.	28,58,165.00
2	Raw Water Rising Main from Intake to WTP.	71,93,146.00
3	Water Treatment Plant: Capacity 2 MLD	1,00,00,000,00
4	Clear Water Reservoirs at WTP	15,00,000.00
5	Clear Water Pump House at WTP	46,92,135.00
6	Clear Water Rising Main	7,31,46,631.00
7	Cluster Distribution System	5,97,52,545.00
8	Village Distribution System	2,49,26,624.00
9	Elevated Service Reservoirs	2,29,50,000.00
10	PLC/SCADA	83,50,000.00
11	Civil Works	1,52,01,390.00
12	Power Connection	39,80,000.00
13	Miscellaneous works including Road crossings, IEC activities and Spare Parts etc.	1,18,50,000.00
14	O&M cost for 10 years	1,79,51,298.00
	Total	**26,43,51,934.00**
	Add Contingency Charges @ 5%	1,32,17,597.00
	Add price escalation per year during the execution period for next two years @ 5%	1,85,04,635.00
	Add establishment & supervision Charges @ 4.5%	1,18,95,837.00
	G. Total	**30,79,70,003.00**
	Say Rs.	**30.80 Crores**

संलग्नकः 13/ए.बि. 47/नीनिस 187/27.09.11

Madhavi Water Supply Project

General Abstract of Cost

S. N.	Particulars of item	Estt. Cost
1	Construction of Intake Structure and Pumping Station.	1,00,64,940.00
2	Raw Water Rising Main from Intake to WTP.	39,89,780.00
3	Water Treatment Plant: Capacity 2.5 MLD	87,50,000.00
4	Clear Water Reservoirs	16,00,000.00
5	Clear Water Pump House at WTP	68,08,798.00
6	Clear Water Rising Main	6,98,03,835.00
7	Cluster Distribution System	8,20,14,919.00
8	Village Distribution System	3,82,84,898.00
9	Elevated Service Reservoirs	1,08,00,000.00
10	PLC/SCADA	47,50,000.00
11	Civil Works	94,68,670.00
12	Power Connection	74,85,012.00
13	Miscellaneous works like share cost of dam, EIC activity, Land acquisition, road crossing, spare parts and water harvesting etc.	87,50,000.00
14	O&M cost for 10 years	1,93,06,938.00
	Total	**28,18,77,789.00**
	Add Contingency Charges @ 5%	1,40,93,889.00
	Add establishment & supervision Charges @ 4.5%	1,26,84,501.00
	G. Total	**30,86,56,179.00**
	Say Rs.	**30.87 Crores**

संलग्नक: 14/ए.बि. 48/नीनिस 187/27.09.11

Revised A&F of Regional WSS Manaklao- Khangta

General Abstract of Cost

S. N.	Particulars of item	Amount (Rs. in lacs)
1	IEC for conceptualization of Aapani Yozana Pattern	38.00
2	Cost of Pipe Lines: (a) Rising Mains (b) Gravity Mains	5905.13
	(c) Distribution Mains from Cluster ESR to village Transmission Point.	914.55
	(d) Distribution within Village from Transfer Point (Metering Point) to various PSP & CWT	459.56
3	Cost of ESR's	809.98
4	Cost of CWR's	185.47
5	Cost of Pump sets	410.82
6	Cost of Civil Works	102.18
7	Cost of Railway Crossings	137.47
8	Cost of Bulk Water Meter	158.78
9	Cost of Tools & Plant & Spares	8.56
10	Cost of Power Connection	577.72
11	Cost of land acquisition and service road	50.47
12	Cost of Preliminary Survey & other works	30.49
	Total	**9789.59**
	Price escalation @ 7% per annum	1117.39
	Provision for O&M from 2009-10 to 2013-14	275.01
	G. Total	**11181.99**

संलग्नकः 15 / ए.बि. 49 / नीनिस 187 / 27.09.11

Chambal-Dholpur_Bharatpur Water Supply Project
Transmission Main pipe line from Mallah (Bharatpur) to Deeg

General Abstract of Cost

S. N.	Particulars of item	Amount
	Part-A	
1	Provision for P, L & J & Hydro testing of pipe line and ancillary works to Transmission System.	84,46,93,633.00
2	Provision for construction of CWR, Staff Quarters & Development works at Deeg and Kumher Headworks	6,11,51,943.00
3	Provision for supply & installation of pumping machinery including electomechanical fittings complete	1,44,88,575.00
4	Provision for ancillary work like Railway and Highway Crossings, Road Construction etc.	2,91,90950.00
5	Provision for price inflation @ 5% per annum for 2 years	9,09,52,510.00
	Sub Total	**1,00,04,77,611.00**
6	Provision for O&M of complete system for 10 years.	5,34,42,975.00
	Total	**1,05,39,20,586.00**
	Add contingencies @ 5%	5,26,96,029.00
	Add Prorata charges @11%	8,65,54,282.00
	Total	**1,19,31,70,897**
	Say Rs. in lacs)	**11931.71**
	Part-B	
1	Provision for Land Acquisition, Survey & Soil Investigation, Clearance from various department & preparation of Tender Documents etc.	1,50,00,000.00
	Add contingencies @ 5%	7,50,000.00
	Add Prorata charges @11%	12,31,890.00
	Total	**1,69,81,890.00**
	Say Rs. (in lacs)	**169.82**
	G. Total (Part-A + Part-B)	**12101.53 lacs**

संलग्नकः 16/ए.बि. 50/नीनिस 187/27.09.11

Chambal-Dholpur_Bharatpur Water Supply Project
Transmission Main pipe line from Deeg to Kaman- Pahari & Deeg to Nagar

General Abstract of Cost

S. N.	Particulars of item	Amount
	Part-A	
1	Provision for P, L & J & Hydro testing of pipe line and ancillary works to Transmission System.	53,67,55,393.00
2	Provision for construction of CWR, Staff Quarters & Development works at Deeg & Kumher Headworks	4,31,97,592.00
3	Provision for supply & installation of pumping machinery including electomechanical fittings complete	2,24,97,753.00
4	Provision for ancillary work like Railway, Highway crossing, road construction etc.	1,27,53,893.00
5	Provision for price inflation @ 5% per annum for 2 years	6,15,20,463.00
	Sub Total	**67,67,25,094.00**
6	Provision for O&M of complete system for 10 years.	4,17,97,442.00
	Total	**71,85,22,536.00**
	Add contingencies @ 5%	3,59,26,127.00
	Add Pro-rata Charges @11%	5,90,09,382.00
	Total	**81,34,58,045.00**
	Say (Rs in lacs)	**8134.58**
	Part-B	
1	Provision for Land Acquisition, Survey & Soil Investigation, Clearance from various department & preparation of Tender Documents etc.	2,92,50,000.00
	Add contingencies @ 5%	14,62,5000.00
	Add Pro-rata Charges @11%	24,02,186.00
	Total	**3,31,14,686.00**
	Say (Rs in lacs)	**331.15**
	G. Total (Part-A + Part-B)	**8465.73 lacs**

संलग्नकः 17/ए.बि. 52/नीनिस 187/27.09.11

Revised A&F of Pokran Falsoond Balotra Siwana Lift Project

General Abstract of Cost

S. N.	Particulars of item	Amount (Rs. in Crores)
1	Package-1 (Infra work up o Pokaran)	357.11
2	Package-2 (Infra work from Pokaran to Balotara, Sindhari & Siwana)	449.33
3	Package-3 (Cluster work up to Hire Ki Dhani)	293.91
4	Package-4 (Cluster work from Hire Ki Dhani to Tail of the Project)	239.03
5	Package-5 (Deposit work)	108.78
6	Package-6 (Survey work)	1.23
7	Package-7 (IEC Activity)	4.81
	Total	**1454.20**

संलग्नकः 18/ए.बि. 53/नीनिस 187/27.09.11

Jawai Pipe Line Cluster Project
Jawai, Sanderao, Jadan, Sojat & Khindara Feeder Turnk Mains

General Abstract of Cost

S. N.	Particulars of item	Amount (Rs. in lacs)
1	Total cost of the Jawai feeder trunk mains.	3819.77
2	Total cost of the Sanderao feeder trunk mains.	2443.71
3	Total cost of the Jadan feeder trunk mains.	1002.81
4	Total cost of the Sojat feeder trunk mains.	4606.17
5	Total cost of the Khindara feeder trunk mains.	4273.57
	Total Basic Cost	**16146.02**
Cost for 10 year's O&M.		
1	Cost for 10 year's O&M of Jawai feeder trunk mains.	286.48
2	Cost for 10 year's O&M of Sanderao feeder trunk mains.	183.28
3	Cost for 10 year's O&M of Jadan feeder trunk mains.	75.21
4	Cost for 10 year's O&M of Sojat feeder trunk mains.	345.46
5	Cost for 10 year's O&M of Khindara feeder trunk mains.	320.52
	Total: (O & M Cost)	**1210.95**
	Add contingencies @ 5% on basic cost	807.30
	Add Prorata @ 11% on basic cost	1776.06
	Total cost of Scheme	**19940.34**

संलग्नक: 19 / ए.बि. 54 / नीनिस 187 / 27.09.11

Revised A&F sanction of Regional WSS Umed Sagar- Dhawa- Samdari- Khandap Part-III

General Abstract of Cost

S. N.	Particulars of item	Amount (Rs. in lacs)
1	Misc Field Activities (Soil exploration, TS package preparation etc.).	38.95
2	Raw Water Link Feeder Gravity Trunk Main from Takhat Sagar to Umedsagar.	697.00
3	Gravity Trunk Mains from WTP to Master Balancing Reservoirs and construction of MBR Samdari Railway Crossing 5.6KM service roads for 5 MBRs, Vehicles, T&P	21836.23
4	Feeder Main MBR to Cluster SR), Construction of 43 SRs, Pumping Station with allied works. Pipelines between SRs and MHs with bulk meter Land Acquisition 9 Railway Crossings, Power transmission for PS Kalawatsar and Barnawa Ancillary Works	18929.48
5	Pipeline in Main Habitation and for other habitation	4212.00
6	Pipe line in Samdari Town	257.88
7	IEC Activities	459.72
8	Price Escalation	5954.84
	Total	**52386.10**
	Add contingencies @ 5% on Rural and @ 1.5% on Urban and other agencies	2497.84
	Add prorate charges @ 11% on Urban and other agencies	400.27
	Total	**55284.11**
	O&M charges for 10 years	2261.78
	G.Total	**57545.89**
	Say Rs.	**575.46 Crores**

संलग्नकः 20/ए.बि. 57/नीनिस 187/27.09.11

A&F sanction of Reorg. of WSS Pipaliya Section

General Abstract of Cost

S. N.	Particulars of item	Amount (Rs. in lacs)
1	Water Treatment Plant (351 KLH/8.5 MLD at HW – 1 Haripur)	162.00
2	Clear Water Pumping Transmission Mains from HW to SRs.	1417.98
3	Water Gravity Distribution Mains from Cluster SRs to MH.	174.91
4	Elevated Service Reservoirs	361.30
5	Clear Water Reservoirs	65.00
6	Pumping Stations	107.38
7	Bulk Water Meters	37.12
8	Ancillary Works	22.90
9	Separate power feeder works & Canal raising & P&F of Sluice gate work	50.00
10	Railway & NH Road Crossing	22.00
	Total	**2420.59**
	Price escalation @ 5% per annum	94.03
	Grand Total	**2514.62**
	Add contingencies @ 5%	125.73
	Total	**2640.35**
	Annual maintenance cost per annum @ 30.20	151.00
	G. Total	**2791.35**
	Say Rs.	**27.92 Crores**

संलग्नकः 21/ए.बि. 58/नीनिस 187/27.09.11

Revised Augmentation of Reg. WSS Loonkaransar

General Abstract of Cost

S. N.	Particulars of item	Amount (Rs. in lacs)
	Package-1	
1	Provision for P, L and J of raw water rising main	113.06
2	Provision for construction of 2 nos. raw water storage tank.	193.32
3	Provision for construction of RCC Rapid Gravity Filter size 5.0 MLD.	120.00
4	Provision for construction of RCC CWR's	17.99
5	Provision for construction of main pump house and sump wells	34.73
6	Provision for providing & fixing pumping machinery	55.70
7	Provision for construction of civil works	57.86
	Total:	**592.66**
	Package-2:	
1	Provision for P, L and Jointing of rising main pipe line.	97.33
2	Provision for construction of RCC OHSR's 2 nos.	59.00
3	Provision for construction of RCC GLR's with PSP CWT's	4.93
4	Provision for P, L and Jointing of Distribution system.	135.57
	Total:	**296.83**
	Package-3:	
1	Provision for construction of pipe outlet at RD 291/292 Kanwarsen Lift Canal.	9.44
	Total:	**9.44**
	Package-4:	
1	Provision for Railway crossing of pipe line at Loonkaransar.	18.07
	Total	**18.07**
	Package-5:	
1	Provision for new power connection and Load Extension and Dedicated power feeder at Loonkaransar and PS Kalu.	29.89
	Total	**29.89**
	Package-6:	
1	Survey Work.	1.32
	Total	**1.32**
	Sub Total	**948.21**
	Add contingencies @ 5%	47.41
	G. Total	**995.62**

क्रमांक : एफ 7(14) पीपीसी–187 / आरडब्लूएसएसएमबी / 2011–12 / **3641–690** दिनांक : **18.10.2011**

निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाई हेतु :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार एवं चेयरमैन, पी.पी.सी. जयपुर.
2. निजी सचिव मा. राज्य मंत्री महोदय, जन स्वास्थ्य अभि. विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर.
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सचिवालय, जयपुर.
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय , जयपुर.
5. निजी सचिव शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, सचिवालय, जयपुर.
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, सचिवालय, जयपुर
7. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर.
8. मुख्य अभियन्ता(प्र.) एवं तकनीकी सदस्य, राज. जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मंडल, जयपुर.
9. वित्तीय सलाहकार व मुख्य लेखाधिकारी, राज. जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मंडल, जयपुर
10. मुख्य अभियंता, मुख्यालय / ग्रामीण / विशिष्ठ परियोजना, जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर.
11. मुख्य अभियन्ता, (परियोजना), जन स्वास्थ्य अभि. विभाग, जोधपुर ।
12. मुख्य लेखाधिकारी, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
13. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर / जोधपुर / बीकानेर / अजमेर / कोटा / उदयपुर / भरतपुर / ड्रिलिंग व हैण्ड पम्प जयपुर / परि.अजमेर / परि. भरतपुर / बीसलपुर, जयपुर / शहरी जयपुर / ग्रामीण जयपुर.
14. मुख्य रसायनिज्ञ, जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर.
15. अधीक्षण अभियंता मेटेरियल मेनेजमेन्ट जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर
16. वरिष्ठ भू जल वैज्ञानिक, जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर
17. अधिशाषी अभियंता, इन्वेस्टीगेशन सैल / मोनेटरिंग / तकनीकी सदस्य , (अधिशाषी अभियंता–I / II / III / चतुर्थ), जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर
18. आरसीएओ, परचेज आडिट सैल, 2 सिविल लाईन, जल भवन, जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर
19. रक्षित पत्रावली

सचिव,
राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मंडल
जयपुर.